न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2019-00107RAAJodhpur2019-38RTA225 Achalaram Vs Smt. Sugani etc

अचलाराम पुत्र श्री मोतीराम जी जाति जाट, निवासी खारी खुर्द, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती सुगनी पत्नी श्री नारायणराम के कायम मुकामः–
   1.1. खुमाराम पुत्र नारायणराम
   1.2. आदुराम पुत्र नारायणराम
   1.3. पूनाराम पुत्र नारायणराम
   जाति जाट, निवासीगण– पूनियों की बासनी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।
   1.4. श्रीमती गंगा पुत्री नारायणराम धर्मपत्नी मूलाराम जी गोदारा जाति जाट निवासी भवाद, तहसील बावडी, जिला जोधपुर।
   1.5. श्रीमती तीजा पुत्री नारायणराम धर्मपत्नी परसाराम जाति जाट निवासी बोडी ढाको री तहसील बावडी जिला जोधपुर।
   1.6. श्रीमती सीता पुत्री नारायणराम धर्मपत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी छापरिया की ढाणी, तहसील बावडी जिला जोधपुर।
2. श्रीमती धूडी पत्नी श्री खेताराम के विधिक प्रतिनिधि
   2.1. रेवतराम पुत्र स्व. खेताराम
   2.2. बाबू पुत्र स्व. खेताराम
   2.3. फैफाराम पुत्र स्व. खेताराम
   सभी जातियान् जाट निवासीगण तांता की बासनी, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर।
   2.4. फूसी पुत्री स्व. खेताराम पत्नी मंगलाराम गोदारा, निवासी ग्राम केलावा खुर्द तहसील बावडी जिला जोधपुर।
   2.5. भमली पुत्री स्व. खेताराम पत्नी पप्पूराम निवासी ग्राम बावड़ी, तहसील व जिला जोधपुर।
   2.6. कमली पुत्री स्व. खेताराम पत्नी फूसाराम निवासी ग्राम केलावा खुर्द तहसील बावती जिला जोधपुर।
3. श्रीमती गुली पुत्री श्रीमती अणची पत्नी श्री श्रीराम (वास्तविक नाम राणाराम) निवासी कड़वड़ तहसील व जिला जोधपुर।
4. श्रीमती कोजूदेवी पुत्री श्रीमती अणची पत्नी श्री श्रीराम, जाति जाट निवासी हुडो की बासनी, तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
5. मेहराम पुत्र श्री पूनाराम

6. मांगीलाल पुत्र श्री पूनाराम
7. कानाराम पुत्र श्री पूनाराम के विधिक प्रतिनिधि
   7.1. चम्पा पुत्र स्व. कानाराम
   7.2. ओमाराम पुत्र स्व. कानाराम
   7.3. रेवतराम पुत्र स्व. कानाराम
   7.4. गीता पुत्री स्व. कानाराम
   7.5. मीकुडी पुत्री स्व. कानाराम
8. दुर्गाराम पुत्र श्री रूपाराम
9. धर्माराम पुत्र श्री रूपाराम
10. श्रीमती फूली बेवा श्री रूपाराम मृतक के विधिक प्रतिनिधि
    10.1. सुगनी पुत्री स्व. रूपाराम
    10.2. सायरी पुत्री स्व. रूपाराम
    10.3. रूकडी पुत्री स्व. रूपाराम
    10.4. सुवा पुत्री स्व. रूपाराम
    जातियान् जाट, निवासी खारी खुर्द, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
11. नेनाराम पुत्र श्री मोतीराम
12. मांगीलाल पुत्र श्री मोतीराम
13. श्रीमती गवरी बेवा हनुताराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
    13.1. चूकी पुत्री स्व. हनुताराम
    13.2. हीरा पुत्री स्व. हनुताराम
    जाति जाट निवासी ग्राम विन्डोली खुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
14. लूम्बाराम पुत्र श्री सावतराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
    14.1. रेवतराम पुत्र स्व. लूम्बाराम
    14.2. रूधाराम पुत्र स्व. लुम्बाराम
    14.3. सोनाराम पुत्र स्व. लुम्बाराम
    14.4. जयराम पुत्र स्व. लूम्बाराम
    14.5. श्रीमती वीरा बेवा स्व. श्री लूम्बाराम
15. चीमू पुत्री स्व. लूम्बाराम
16. काली पुत्री स्व. लूम्बाराम
17. अणदाराम पुत्र श्री जेठाराम
18. सोहनराम पुत्र श्री जेठाराम
19. मालाराम पुत्र श्री जेठाराम
20. श्रीमती गोमती देवी बेवा श्री जेठाराम
    जतियान् जाट निवासी ग्राम खारी खुर्द तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
21. राजस्थान सरकार।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेष दिनांक 21 फरवरी 2018 सहायक कलक्टर
बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 23/2016 सुगनी व अन्य
बनाकम अचलाराम इत्यादि**

———————

उपस्थित–

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जगदीष प्रजापत, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/6, 2/1 से 2/3, 1, 4
श्री हरिदेवसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या12, 13, 15/1, 19, 20
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 21

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2025

अपीलांट ने सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2016 अनवान सुगनी व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 21 फरवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेषन एक्ट प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट नें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 31 जनवरी 2007 एवं माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20 दिसंबर 2013 की पालना में वादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 21 फरवरी 2018 के जरिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। धारा 144 सीपीसी आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी पालना हर हालत में की जानी होती है। उपखण्ड अधिकारी ओसियां से राजस्व वाद संख्या 458/2002 में सुगनी वगैरा के पक्ष में जो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2004 को पारित की गई, इस निर्णय एवं डिक्री के आधार पर म्युटेशन संख्या 359 कुल 8 परत में

सुगनी वगैरा के पक्ष में स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री को न्यायालय हाजा ने दिनांक 31.01.2007 को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत हुई द्वितीय अपील भी राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 20.12.2013 को खारिज कर दी। तात्पर्य यह रहा है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां का निर्णय निरस्त हो गया व प्रभाव में नहीं रहा, इसलिए उक्त निर्णय के आधार पर भरा गया म्युटेशन स्वतः ही निरस्त हो गया है।ऐसी स्थिति में म्युटेशन पर निरस्ती का नोट लगाते हुए निर्णय से पूर्व की स्थिति को बहाल करना बहुत ही उचित एवं न्यायसंगत था। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने धारा 144 सी पी सी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भूल की है। उपखण्ड अधिकारी ओसियां का निर्णय निरस्त हो जाने के कारण म्युटेशन संख्या 359 को निरस्त करते हुए वाद की पूर्व की स्थिति को रेकर्ड में बहाल किया जाना बहुत ही उचित एवं न्यायसंगत था। जब तक वाद की पूर्व की स्थिति पुनः बहाल नहीं हो जाती है, तब तक रिमाण्ड प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकती है एवं न ही सुनवाई करने का कोई औचित्य है, क्योंकि सुगनी वगैरा जो खातेदार घोषित होना चाहते है, वे यदि राजस्व रिकॉर्ड में पहले से ही खातेदार है तो उन्हें घोषणा की आवश्यकता ही क्या रहती है। कानून की यह स्पष्ट मंशा है कि जो निर्णय एवं डिक्री निरस्त हो जाती है, उसके पूर्व की स्थिति को बहाल करना एक आज्ञापक प्रावधान है, जिसकी अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सी पी सी को खारिज करने में भारी भूल की है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए कोई उचित एवं न्यायसंगत कारण भी अंकित नहीं किये एवं अपीलांट पर 500 रूपये की कोस्ट और लगा दी। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय पूर्णतया नियम विरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेषन एक्ट पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध पूर्व में अपीलान्ट ने एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन अन्ततः बहस के समय यह तथ्य ध्यान में आया कि इसमें अपील होनी चाहिए थी, जिस पर राजस्व मण्डल ने अपीलान्ट की निगरानी को निस्तारित कर दिया। ऐसी स्थिति में पहले भूल से निगरानी कर दी गई थी, इसलिए अब यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक होने से माफ करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेषन एक्ट स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 21 फरवरी 2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर वाद की पूर्व स्थिति को बहाल किये जाने का आदेष फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की ओर से केवल वाद में विलंब करने के उद्धेष्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से वाद में जवाबदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेष के विरूद्ध सीधे ही माननीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत कर दी, जिससे साबित है कि अपीलांट मामले में विलंब करना चाहता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा निर्णय के बाद वादग्रस्त आराजी खरीद कर ली है तथा जमीन आगे बिक चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेषन एक्ट का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट की ओर से अपीलाधीन आदेष की माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी टी.ए./3143/2018/जोधपुर अनवान अचलाराम बनाम सुगनी इत्यादि प्रस्तुत की गई। माननीय माननीय मण्डल द्वारा अपीलाधीन आदेष की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15 अप्रेल 2019 को जरिये विड्रोल खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेषन एक्ट में किये गये कथन सद्भाविक एवं विष्वसनीय पाये

जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीनी सुगनी वगैरह द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2004 के जरिये स्वीकार किया जाकर वादीनीगण को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2004 के विरूद्ध अपीलांट अचलाराम वगैरह द्वारा अपील/डिक्री 188/2004/ अनवान अचलाराम व अन्य बनाम सुगनी इत्यादि प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 31 जनवरी 2007 को उक्त अपील आंषिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2004 अपास्त किये गये तथा मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय मण्डल द्वारा भी निर्णय दिनांक 20 दिसंबर 2013 के जरिये अदालत हाजा के निर्णय की पुष्टि किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 144 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्त्तुत कर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर अपना कोई विधिक मत प्रतिपादित किये बिना सरसरी तौर पर बिना कोई कारण स्पष्ट किये खारिज किया जाना पाया जाता है।

सी.पी.सी. की धारा 144 में आज्ञापक रूप से धारित किया गया है कि जहां किसी डिक्री या आदेश को किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट दिया जाता है या उस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त या उपांतरित कर दिया जाता है, वहां वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया है, प्रतिपूर्ति या अन्यथा किसी लाभ के हकदार किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसा प्रतिपूर्ति कराएगा जो, जहां तक हो सके, पक्षकारों को उस स्थिति में रखेगा जो उन्होंने तब प्राप्त की।

विचारण न्यायालय द्वारा धारा 144 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों पर गौर किये बिना तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का कोई कारण दर्षाये बिना नॉन स्पीकिंग आदेष पारित करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेष पारित किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा

अपीलांट पर 500/– रूपये की कॉस्ट लगायी गई, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 23/2016 अनवान सुगनी व अन्य बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 21 फरवरी 2018 खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 जून 2004 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेष दिये जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

.